

झारखण्ड विधान सभा

कार्य सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

[सप्तम-सत्र]

21 नवम्बर, 2016 (ई०)

सोमवार, तिथि-

30 कार्तिक, 1938 (श०)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय-11:00 बजे पूर्वाहन)

-प्रश्नोत्तर:-

- (01)- सभा के गत-सत्र के अतारांकित तथा अनागत प्रश्नों के उत्तर का सभा सचिव द्वारा पठल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (02)- अल्प-सूचित एवं तारांकित प्रश्न तथा उनके उत्तर।
- (03)-मुख्यमंत्री प्रश्नकाल।
- (04)- शून्यकाल की सूचनाएँ।

-ध्यानाकर्षण-सूचनाएँ एवं उसपर सरकार का वक्तव्य:-

- (05)- श्री हरिकृष्ण सिंह एवं श्री लक्ष्मण दुड़सोविंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (ग्रामीण विकास(ग्रामीण कार्य मामले) विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 18.11.2016 से स्थगित)

- (06)-सर्वोच्च प्रतीक नामदात, प्रपत्ति दाता एवं श्री रवीन्द्र नाथ महतो, स०विंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 18.11.2016 से स्थगित)

- (07)-श्री शिवशंकर उरांव, स०विंस० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (उद्योग खान एवं भूतत्व विभाग) की ओर से वक्तव्य।

(दिनांक:- 18.11.2016 से स्थगित)

(08)- श्री बिरंची नारायण, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग) की ओर से वक्तव्य।
(दिनांक:- 18.11.2016 से स्थगित)

- (09) श्री अरुप चटर्जी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (10)- श्री राधाकृष्ण किशोर, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (11)- श्रीमती गीता कोडा एवं श्रीमती जोबा मांझी, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (12)- श्री योगेश्वर महतो, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार) की ओर से वक्तव्य।
- (13) सर्वश्री शशिभूषण सामाड़, कुणाल घाङ्गी एवं श्री प्रदीप यादव, स०वि०स० की ध्यानाकर्षण-सूचना तथा उसपर सरकार (विधि विभाग) की ओर से वक्तव्य।
- (14)- झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम के अनुसरण में समितियों का गठन (यदि हो)।
- (15)- झारखण्ड विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदनों का सभा-पटल पर रखा जाना (यदि हो)।
- (16)- याचिकाओं का उपस्थापन (यदि हो)।

-: समितियों का गठन :-

- (17)- वित्तीय वर्ष 2016-17 के द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी में सम्मिलित अनुदानों की माँगों पर वाद-विवाद सरकार का उत्तर तथा मतदान।
कठौती प्रस्तावों की सूची अलग से वितरित की जा रही है।

-: विधायी-कार्य :-

राजकीय(वित्त)विधेयक

झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2016

- (18)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास, प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-04) विधेयक, 2016” को पुरास्थापित करने की अनुमति दी जाय।

कृ०प०३०/-

- (19)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास,उपर्युक्त विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे।
- (20)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-०४) विधेयक, २०१६” पर विचार हो।
- (21)- मुख्यमंत्री (प्रभारी योजना-सह-वित्त) श्री रघुवर दास,प्रस्ताव करेंगे कि “झारखण्ड विनियोग (संख्या-०४) विधेयक, २०१६” स्वीकृत हो।
- (22)- अन्य नितान्त आवश्यक कार्य (यदि हो)।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-३५४५ वि०स०,राँची,दिनांक २०...नवम्बर, २०१६ ई०।

प्रतिलिपि:- माननीय सदस्यगण,झारखण्ड विधान-सभा,राँची/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/सरकार के मुख्य सचिव,झारखण्ड/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता,झारखण्ड,राँची/लोकसभा,नई दिल्ली/झारखण्ड सरकार के समस्त विभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-३५४५ वि०स०,राँची,दिनांक २०...नवम्बर, २०१६ ई०।

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव,अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप सचिव,सचिवीय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सरोज कुमार

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या:-कार्य०का०सू०-०७/२०१६-३५४५ वि०स०,राँची,दिनांक २०...नवम्बर, २०१६ ई०।

प्रतिलिपि:- झारखण्ड विधान-सभा के सभी पदाधिकारीगण/वेबसाईट शाखा/पुस्तकालय शाखा एवं जनसम्पर्क शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरोज कुमार

अवर सचिव,

झारखण्ड विधान सभा,राँची।

की वित्त विभाग,झारखण्ड उन्नानि वि० (ठाणी-ठान-पालहाइ विभाग) लिंगायताहु - (८१)

वित्त विभाग द्वारा किंवा “३१०२,काउंसिली (४०-प्रकार) विभागीय ठाणहाइ”

—१०८०९०९०